पशुपालन निदेशालय, बिहार

बिहार सरकार

हमारा बिहार

ई-मेल - dirahd-bih@nic.in **वेबसाइट - ahd.bih.nic.in** **दूरभाष /फैक्स - 0612-2215962**

पत्रांक- 10 नि0 (यो0) .... **दिनांक-**................................/2018

वित्तीय वर्ष 2018–19 में "समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत "ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3000 क्षमता) के आधारभूत संरचना निर्माण पर अनुदान की योजना" के सफल कार्यान्वयन हेतु "कार्यान्वयन अनुदेश"

वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभागीय स्वीकृति आदेश पत्र संख्या–6 एस0 एस0 (6) 13/2015 – 2611 दिनांक–10.08.2018 के द्वारा कुल रूपये 1112.71 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ बारह लाख एकहत्तर हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर राज्य स्कीम अन्तर्गत "समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत "ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3000 क्षमता) के आधारभूत संरचना निर्माण पर सामान्य जाति के लाभुकों के लिए 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान की योजना" की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति आदेश की कंडिका–3 (xvi) के आलोक में योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु निम्नांकित दिशा–निर्देश (कार्यान्वयन अनुदेश) निर्गत किया जाता है:–

1– उद्देश्य :–

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में पोल्ट्री मांस के उत्पादन में वृद्धि तथा पोल्ट्री मांस उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही राज्य में पोल्ट्री मांस उत्पादन से मानव उपयोग के निमित्त पशुजन्य प्रोटीन की उपलब्धता को बढ़ाना एवं लाभकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

2– योजना के मुख्य बिन्दु :–

(i) राज्य में पोल्ट्री मांस उत्पादन में वृद्धि हेतु ''ब्रायलर फार्मिग'' को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना" के अन्तर्गत ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3000 क्षमता वाले) के आधारभूत संरचना की स्थापना लागत पर सामान्य जाति के लाभुकों हेतु 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को 50 प्रतिशत अनुदान दी जाएगी।

(ii) योजना का कार्यान्वयन पशुपालन निदेशालय द्वारा किया जायेगा। पशुपालन निदेशालय स्तर पर ऑन लाईन (On line) आवेदन प्राप्त किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राज्य होगा।

(iii) "Deep litter system" पर आधारित 3000 क्षमता के एक ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के आधारभूत संरचना निर्माण पर अधिकतम रूपये 9.00 लाख (नौ लाख मात्र) की अनुमानित परियोजना लागत आकलित है। विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Project Report) संलग्न है (अनुलग्नक–1)।

(iv) सामान्य कोटि के लाभुकों को 3000 क्षमता के एक ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के आधारभूत संरचना निर्माण पर परियोजना लागत का 30% राशि अर्थात अधिकतम रूपये 2.70 लाख (दो लाख सत्तर हजार मात्र) तथा

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभुकों को परियोजना लागत का 50% राशि अर्थात अधिकतम रूपये 4.50 लाख (चार लाख पचास हजार मात्र) का अनुदान दिया जायेगा।

(v) वित्तीय वर्ष 2018–19 में सामान्य कोटि के तहत 168 लाभुकों, अनुसूचित जाति कोटि के तहत 124 लाभुकों तथा अनुसूचित जनजाति कोटि के तहत 20 लाभुकों अर्थात कुल 312 लाभुकों को ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3000 क्षमता) के आधारभूत संरचना निर्माण पर अनुदान दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2018–19 में ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3000 क्षमता) के आधारभूत संरचना निर्माण पर अनुदान का कोटिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य संलग्न है (अनुलग्नक–2)।

(vi) ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के आधारभूत संरचना निर्माण के उपरान्त संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के माध्यम से पोल्ट्री फार्म का Private Sector Integrator से Backward and Forward Linkage हेतु समन्वयन कराया जायेगा। Private Sector Integrator द्वारा एक दिवसीय चूजा, कुक्कुट आहार (दाना इत्यादि), टीकाकरण, आवश्यक दवाएँ, Veterinary Services इत्यादि उपलब्ध करायी जायेंगी। ब्रायलर पोल्ट्री तैयार हो जाने के उपरान्त Private Sector Integrator द्वारा उसके विपणन (marketing) की व्यवस्था की जायेगी तथा निर्धारित दर पर ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के संचालक को राशि का भुगतान Private Sector Integrator द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त व्यवस्था लाभुक के लिए ऐच्छिक होगी, सक्षम लाभुक अपने स्तर से भी एक दिवसीय चूजा, कुक्कुट आहार (दाना इत्यादि), टीकाकरण, आवश्यक दवाओं, Veterinary Services इत्यादि के साथ तैयार ब्रायलर पोल्ट्री के विपणन की व्यवस्था अपने स्तर से भी कर सकते है।

3– लाभुक का चयन (आवेदन पत्र/योग्यता इत्यादि) :–

(i) इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन **समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन कर** आमंत्रित किया जायेगा। विज्ञापन का प्रकाशन सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना के माध्यम से कराया जायेगा।

(ii) समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त ऑनलाईन लिंक खुलने की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों तक **आवेदन ऑनलाईन समर्पित किये जा सकेंगे।**

(iii) योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों को **ऑनलाईन आवेदन** करना होगा। इसके लिये विभागीय वेबसाईट ahd.bih.nic.in पर दिये गये लिन्क (link) पर जाकर **आधार संख्या/वोटर कार्ड संख्या** से **पंजीकरण** (Registration) करना होगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय सभी वांछित कागजातों/अनुलग्नकों को ऑनलाईन (Online) अपलोड (upload) करना अनिवार्य होगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन करने से पहले पूर्वाभ्यास हेतु **मॉडल आवेदन पत्र** संलग्न है। आवेदन पत्र भरने से पहले सभी वांछित अनुलग्नकों को Scan कराकर Pdf format में Soft copy तैयार कर लिया जायेगा जिसे ऑनलाईन आवेदन के साथ निर्दिष्ट स्थान पर अपलोड किया जायेगा।

(v) ऑनलाईन आवेदन समर्पित (Submit) करने के उपरान्त आवेदक को एक प्राप्ति रसीद प्राप्त होगा जिसमें आवेदन आई.डी के साथ उनके द्वारा जमा किये गये सभी कागजातों की प्राप्ति अंकित होगी। प्राप्ति रसीद में अंकित आई.डी./आधार संख्या/वोटर कार्ड संख्या एवं पासवर्ड से लॉग–इन (Login) कर आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

(vi) एक आवेदक द्वारा एक ही आवेदन पत्र समर्पित किया जायेगा।

(vii) लाभुकों को ब्रायलर पोल्ट्री फार्म की स्थापना के लिए आवश्यकतानुसार भूमि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। 3,000 क्षमता वाले ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (Deep litter system पर आधारित) के आधारभूत संरचना निर्माण हेतु कम से कम 7,000 (सात हजार) वर्गफीट भूमि की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित भूमि का सड़क से जुड़ा रहना आवश्यक होगा ताकि परिवहन इत्यादि सुविधाजनक रूप से हो सके।

(viii) आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित ब्रायलर फार्म की भूमि का एक नजरी नक्शा जमा करना होगा। आवेदन पत्र के साथ नजरी नक्शा जमा नहीं किये जाने की स्थिति में नजरी नक्शा जिला स्तर पर गठित त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति को स्थल निरीक्षण के समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(ix) ब्रायलर पोल्ट्री फार्म की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि स्वयं की, पैतृक अथवा लीज की हो सकती है। पैतृक भूमि के मामले में पिता (यदि जीवित हों) सहित सभी कानूनी दावेदारों के द्वारा सम्मिलित रूप से अनापत्ति शपथ–पत्र समर्पित करना होगा। भूमि यदि लीज पर ली गई हो तो ऑनलाईन आवेदन के समय कम से कम नौ वर्षो के लिए भूमि लीज की अवधि शेष हो। आवेदक के नाम से भूमि होने की स्थिति में भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र/अद्यतन लगान रसीद **अथवा** लीज पर भूमि लेने की स्थिति में भू–स्वामी का भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र/अद्यतन लगान रसीद तथा लीज एकरारनामा (रूपये 1000 के Non-judicial stamp paper पर) अपलोड करना अनिवार्य होगा। उक्त एकरारनामा में यह अंकित रहना अनिवार्य होगा कि भूमि पर ब्रायलर पोल्ट्री फार्म का निर्माण किया जायेगा। **अगर किसी आवेदक के द्वारा लीज एकरारनामा दिया गया हो तो वह इस शर्त्त के साथ मान्य होगा कि चयनित आवेदक को अनुदान के भुगतान के पहले लीज एकरारनामा को निबंधित कराना अनिवार्य होगा।**

(x) सीलींग की भूमि पर इस योजना का लाभ देय नहीं होगा।

(xi) यदि यह पाया जाता है कि एक ही भूमि पर एक से अधिक आवेदकों द्वारा ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के लिए आवेदन किया गया है तो इस स्थिति में पहले प्राप्त आवेदन पर ही विचार किया जायेगा।

(xii) लाभुक द्वारा आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Detailed Project Report) सलंग्न करना होगा। आवेदन पत्र के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Detailed Project Report) सलंग्न नहीं करने की स्थिति में विभाग द्वारा तैयार किया गया Model Project Report ही मान्य होगा।

(xiii) लाभुक के चयन में मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों से कुक्कुट पालन में प्रशिक्षण प्राप्त आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इस हेतु आवेदक को कुक्कुटपालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

(xiv) 3,000 क्षमता वाले ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (Deep litter system पर आधारित) स्थापित करने हेतु लाभुक के स्तर से निम्नांकित विवरणी के अनुरूप व्यय की आवश्यकता होगी। आवेदन के समय आवेदक द्वारा बैंक ऋण की स्थिति में मार्जिन मनी के रूप में प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत् राशि एवं स्वलागत की स्थिति में लाभुक के स्तर से व्यय की जाने वाली राशि (कॉलम–5) का लगभग 40 प्रतिशत् उपलब्ध होना चाहिए। आवेदक को निम्नांकित विवरणी के कॉलम–7 में अंकित राशि की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य जमा करना अनिवार्य होगा :–

क्र0 सं0	लाभुक की कोटि एवं पोल्ट्री फार्म संस्थापन की वित्तीय व्यवस्था (स्वलागत/बैंक ऋण)	परियोजना लागत (लाख रूपये में)	अनुदान की राशि (लाख रूपये में)	लाभुक के स्तर से व्यय (बैंक ऋण की स्थिति में मार्जिन मनी 10 %) की जाने वाली राशि (लाख रूपये में)	बैंक ऋण से प्राप्त राशि (स्वलागत की स्थिति में शून्य)	आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि (लाख रूपये में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	सामान्य (स्वलागत)	9.00	2.70	6.30	शून्य	**2.50**
2	सामान्य (बैंक ऋण)	9.00	2.70	0.90	5.40	**0.90**
3	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (स्वलागत)	9.00	4.50	4.50	शून्य	**1.80**
4	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (बैंक ऋण)	9.00	4.50	0.90	3.60	**0.90**

राशि की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य के रूप में अद्यतन बैंक पास बुक/ बैंक के शाखा प्रबंधक के द्वारा सत्यापित खाता विवरणी (Account Statement)/ बैंक सावधि जमा अथवा बीमा का प्रत्यार्पण मूल्य (Surrender Value) इत्यादि जमा किया जा सकता है।

(xv) बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया लाभुक के द्वारा स्वयं की जायेगी। बैंक द्वारा लाभुक के ऋण ओवदन को अस्वीकृत कर दिये जाने की स्थिति में संबंधित लाभुक का यह दायित्व होगा कि वह अविलम्ब निदेशक, पशुपालन को इसकी सूचना दे एवं इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि वह स्वलागत से इसे पूरा करना चाहते हैं अथवा नहीं। स्वलागत से ब्रायलर पोल्ट्री फार्म का निर्माण कराये जाने की स्थिति में उन्हें स्वलागत के लिए आवश्यक राशि की उपलब्धता का साक्ष्य समर्पित करना होगा।

(xvi) स्वलागत से ब्रायलर पोल्ट्री फार्म स्थापित करने वाले लाभुक को प्राथमिकता दी जायेगी बशर्त्ते कि उनके द्वारा व्यय की जाने वाली राशि की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाये।

4– लाभुक की चयन प्रक्रिया :–

(i) लाभुकों का प्रारंभिक चयन (Screening) क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन के स्तर पर किया जायेगा। आवेदक द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र एवं सभी संलग्न कागजातों की जाँच हेतु संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन की अध्यक्षता में गठित की जाने वाली **त्रि–सदस्यीय स्क्रीनिंग समिति** के द्वारा की जायेगी। सदस्य के रूप में संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन कार्यालय में पदस्थापित दो वरीयतम पदाधिकारी होंगे।

उक्त **त्रि–सदस्यीय स्क्रीनिंग समिति** द्वारा सभी प्राप्त आवेदन पत्रों (संलग्न कागजातों सहित) की जाँच की जायेगी एवं सभी आवेदको को उनकी स्थिति (योग्य/अयोग्य) के संबंध में सूचित किया जायेगा। जाँच के क्रम में योग्य/अयोग्य पाये गये सभी आवेदको से संबंधित विवरणी स्क्रीनिंग समिति की बैठक के दो दिनों के अन्दर पशुपालन निदेशालय को भी उपलब्ध करायी जायेगी। सभी आवेदको को उनकी स्थिति (योग्य/अयोग्य) के संबंध में एस0एम0एस0 (Mobile SMS) के द्वारा भी सूचित किया जायेगा, जिसकी विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट पर भी लॉग–ईन कर प्राप्त की जा सकती है। अयोग्य पाये गये आवेदको को आपत्ति दर्ज करने का एक मौका दिया जाएगा। आयोग्य आवेदकों के द्वारा यदि कोई आपत्ति (निर्धारित तिथि के अन्दर) की जाती है, तो उन आपत्तियों के निस्तारण हेतु पुनः संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन के अध्यक्षता में गठित **स्क्रीनिंग समिति** द्वारा एक बैठक की जायेगी, जिसकी सूचना आपत्ति आवेदकों को भी दी जाएगी। इस बैठक में आपत्ति करने वाले आवेदक भी उपस्थित रह सकते है। **स्क्रीनिंग समिति** द्वारा आपत्तियों के निराकरण में Online upload किये गये कागजातों पर ही विचार किया जायेगा।

(ii) सभी आपत्तियों का निस्तार करने के उपरान्त सभी योग्य आवेदको की कोटि–वार सूची तैयार की जायेगी।

(iii) इसके उपरान्त **स्क्रीनिंग समिति** द्वारा प्रारंभिक रूप से योग्य पाये गये उपर्युक्त सूची के आवेदको के आवेदन पत्र को संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर पर गठित की जाने वाली **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** के स्तर से स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँच इत्यादि हेतु भेजा जायेगा।

(iv) जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर पर गठित की जाने वाली **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** में संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी अध्यक्ष के रूप में तथा सहायक कुक्कुट पदाधिकारी एवं जिला में पदस्थापित अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/पशु शल्य चिकित्सक (जो भी वरीय हों) रहेंगे। यदि सहायक कुक्कुट पदाधिकारी/अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/पशु शल्य चिकित्सक में पद रिक्त हो अथवा स्वीकृत नहीं हो, वहाँ संबंधित जिला

पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा जिला अन्तर्गत पदस्थापित किन्हीं अन्य वरीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा।

(v) **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँचोपरान्त आवेदक द्वारा दी गई विवरणी सही पाये जाने पर संलग्न **प्रपत्र–1** में अपनी अनुशंसा के साथ संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi) **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा **प्रपत्र–1** में उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन की संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन के अध्यक्षता में गठित **स्क्रीनिंग समिति** द्वारा जाँच की जाएगी एवं जाँचोपरान्त सभी योग्य आवेदको की कोटि–वार सूची तैयार कर अपनी अनुशंसा एवं सभी आवेदनों, अनुलग्नकों एवं जाँच प्रतिवेदनों के साथ संयुक्त निदेशक (मु0), पशुपालन निदेशालय की अध्यक्षता में गठित **चयन समिति** को लाभुकों का अंतिम रूप से चयन हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

(vii) लाभुकों का अंतिम रूप से चयन संयुक्त निदेशक (मु0), पशुपालन निदेशालय की अध्यक्षता में गठित **चयन समिति** द्वारा किया जायेगा। लाभुकों के चयन हेतु **चयन समिति** का गठन निम्नवत् किया जायेगा :–

(क) संयुक्त निदेशक (मु0), पशुपालन निदेशालय – अध्यक्ष।

(ख) महाप्रबंधक, केन्द्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पटना – सदस्य।

(ग) प्रभारी पदाधिकारी, योजना, पशुपालन निदेशालय – सदस्य।

(घ) नोडल पदाधिकारी, कुक्कुट/एडमिन, ऑनलाईन एप्लीकेशन सिस्टम, पोल्ट्री – सदस्य।

(viii) लाभुकों के अंतिम रूप से चयन में ब्रायलर फार्म स्थापित करने हेतु आवेदन जमा करने की तिथि/समय को प्राथमिकता दी जायेगी अर्थात लाभुकों की वरीयता सूची **पहले आओ पहले पाओ** के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ix) त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आधार पर सभी योग्य आवेदको की कोटिवार वरीयता सूची निम्नांकित आधार पर तैयार की जायेगी :–

(1) स्वलागत + प्रशिक्षण – प्रथम प्राथमिकता

(2) स्वलागत – द्वितीय प्राथमिकता

(3) प्रशिक्षण – तृतीय प्राथमिकता

वरीयता क्रम आवेदन जमा किये जाने के क्रम में होगा अर्थात् ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। वरीयता सूची में सबसे उपर प्रथम प्राथमिकता के दायरे में आनेवाले आवेदक आवेदन जमा किये जाने के क्रम में होंगे। तत्पश्चात् क्रमशः द्वितीय प्राथमिकता एवं तृतीय प्राथमिकता के दायरे में आनेवाले आवेदक आवेदन जमा किये जाने के क्रम में होंगे। शेष आवेदकों की वरीयता उपर्युक्त वर्णित तीनों प्राथमिकताओं के पश्चात् आवेदन जमा किये जाने के क्रम में क्रम में होगी।

(x) चयन समिति द्वारा सभी योग्य आवेदकों की कोटिवार वरीयता सूची तैयार की जायेगी, जिसमें से लक्ष्य के अनुरूप अंतिम रूप से लाभुकों का चयन किय जायेगा।

(xi) **चयन समिति** द्वारा लाभुकों के अंतिम चयन के उपरांत लाभुकों का चयन संबंधी **स्वीकृति पत्र** निदेशालय स्तर से निर्गत किया जायेगा एवं इसकी प्रति संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/जिला पशुपालन पदाधिकारी को दी जायेगी।

(xii) स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के **10 दिनों** के अन्दर चयनित लाभुक को विभागीय प्रतिनिधि (संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी) के साथ रूपये 1000/— का नॉन—ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर (Non-Judicial Stamp Paper) पर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।

<u>5— ब्रायलर पोल्ट्री फार्म का निर्माण एवं अनुदान की राशि का भुगतान</u> :—

(i) लाभुक के द्वारा एकरारनामा संपादित किये जाने के उपरान्त उनके द्वारा समर्पित परियोजना प्रस्ताव के अनुरूप 30 दिनों के अन्दर ब्रायलर पोल्ट्री फार्म का निर्माण कराना प्रारम्भ किया जायेगा, जिसकी सूचना लाभुक द्वारा संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को दी जायेगी। ब्रायलर पोल्ट्री फार्म की आधारभूत संरचना हेतु चयनित सभी लाभुकों से प्राप्त तत्संबंधी प्रतिवेदन को जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा संकलित कर समेकित प्रतिवेदन पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii) लाभुक के द्वारा ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के आधारभूत संरचना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि के **30 दिनों** के उपरान्त संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित **त्रि—सदस्यीय स्थल निरीक्षण—सह—जाँच समिति** द्वारा चयनित लाभुक का स्थल निरीक्षण कर पशुपालन निदेशालय को ब्रायलर फार्म के आधारभूत संरचान की अद्यतन स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) एकरारनामा संपादित करने की तिथि से **30 दिनों के अंदर** ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के आधारभूत संरचना का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने की स्थिति में संबंधित लाभुक का स्वीकृति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा इसके लिए लाभुक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(iv) एकरारनामा संपादित होने की तिथि से 6 (छः) माह के अन्दर लाभुक के द्वारा ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के आधारभूत संरचना का निर्माण कार्य (Civil work) पूरा करना होगा।

(v) लाभुकों को अनुमान्य अनुदान का भुगतान निदेशक, पशुपालन के द्वारा 60 प्रतिशत् एवं 40 प्रतिशत् के दो किस्तों में किया जायेगा।

(vi) लाभुक के द्वारा 3000 क्षमता वाले ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के आधारभूत संरचना निर्माण के क्रम में फाउन्डेशन, पिलर एवं साईड वॉल के निर्माण उपरान्त अनुदान के प्रथम किस्त (60 प्रतिशत्) का भुगतान किया जायेगा। भुगतान के लिए लाभुक के द्वारा ब्रायलर मुर्गी फार्म के वर्णित आधारभूत संरचना निर्माण का साक्ष्य (फोटोग्राफ इत्यादि) प्रस्तुत करना होगा।

(vii) अनुदान के द्वितीय किस्त (40 प्रतिशत्) का भुगतान शेष आधारभूत संरचना निर्माण के साथ सभी आवश्यक उपकरणों, बोरिंग, जेनरेटर सेट इत्यादि के संस्थापन के उपरान्त किया जायेगा। द्वितीय किस्त के भुगतान के लिए लाभुक के द्वारा ब्रायलर मुर्गी फार्म के आधारभूत संरचना निर्माण का साक्ष्य (फोटोग्राफ इत्यादि), सभी क्रय किये गये आवश्यक उपकरणों, बोरिंग, जेनरेटर सेट इत्यादि के अभिश्रव तथा फार्म के साथ लाभुक का फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा।

(viii) लाभुक को अनुमान्य अनुदान की राशि का भुगतान निम्नवत् किया जायेगा :–

क्र0 सं0	कोटि	ब्रायलर पोल्ट्री फार्म की क्षमता	परियोजना लागत (लाख रूपये में)	अनुमान्य अनुदान राशि (लाख रूपये में)		
				प्रथम किस्त – 60 प्रतिशत	द्वितीय किस्त – 40 प्रतिशत	कुल
1	अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति	**3,000**	**9.00**	**2.70**	**1.80**	**4.50**
2	सामान्य	**3,000**	**9.00**	**1.62**	**1.08**	**2.70**

(ix) लाभुक के द्वारा अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन विहित प्रपत्र **(प्रपत्र–2)** में संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को समर्पित करना होगा, जिसकी प्राप्ति आवेदक को दी जायेगी।

(x) जिला पशुपालन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा आवेदन प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर स्थल निरीक्षण किया जायेगा। स्थल निरीक्षण के समय लाभुक का स्थल (ब्रायलर पोल्ट्री फार्म) पर उपस्थित रहना आवश्यक होगा। स्थल निरीक्षण के क्रम में **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा पूरे ब्रायलर पोल्ट्री फार्म की विधिवत् रूप से फोटोग्राफी करायी जायेगी।

(xi) **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा ब्रायलर पोल्ट्री फार्म का स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँचोंपरान्त संतुष्ट होने के पश्चात् लाभुक को अनुदान राशि का भुगतान करने हेतु अपनी अनुशंसा के साथ एवं स्थल निरीक्षण–सह–जाँच प्रतिवेदन **(प्रपत्र–3)** ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के फोटोग्राफ सहित संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्ति के 10 दिनों के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(xii) निरीक्षण–सह–जाँच प्रतिवेदन **(प्रपत्र–3)** पशुपालन निदेशालय में प्राप्त होने के उपरान्त अनुमान्य अनुदान का भुगतान लाभुक के द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में NEFT/RTGS के माध्यम से किया जायेगा जिसकी विधिवत् रूप से प्राप्ति का साक्ष्य पशुपालन निदेशालय में संधारित किया जायेगा।

(xiii) संगत राज्यादेश की कंडिका–3 (xv) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना के लिये स्वीकृत राशि निदेशक, पशुपालन, बिहार द्वारा बी0टी0सी0 फार्म–42 पर निकासी कर **बिहार लाईवस्टॉक डेवलपमेन्ट एजेन्सी (बी0एल0डी0ए0), पटना** के खाता में रखी जायेगी। लाभुक को अनुदान की राशि का भुगतान उक्त खाता के माध्यम से किया जायेगा।

6– लक्ष्य :–

वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु स्वीकृत योजना के आलोक में ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3000 क्षमता) के आधारभूत संरचना की स्थापना का भौतिक लक्ष्य (कोटिवार) निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	कोटि	लक्ष्य (ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के आधारभूत संरचना निर्माण की संख्या)
1	अनुसूचित जाति	124 (एक सौ चौबिस)
2	अनुसूचित जनजाति	20 (बीस)
3	सामान्य	168 (एक सौ अड़सठ)
	कुल :–	**312 (तीन सौ बारह)**

7– योजना का अनुश्रवण/अन्यान्यः–

(i) ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के आधारभूत संरचना निर्माण के उपरान्त संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के माध्यम से पोल्ट्री फार्म का Private Sector Integrator से Backward and Forward Linkage कराया जायेगा। Private Sector Integrator द्वारा एक दिवसीय चूजा, कुक्कुट आहार (दाना इत्यादि), टीकाकरण, आवश्यक दवाएँ, Veterinary Services इत्यादि उपलब्ध करायी जायेंगी। ब्रायलर पोल्ट्री तैयार हो जाने के उपरान्त Private Sector Integrator द्वारा हीं उसके marketing की व्यवस्था की जायेगी तथा निर्धारित दर पर ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के संचालक को राशि का भुगतान Private Sector Integrator द्वारा किया जायेगा। Private Sector Integrator से Backward and Forward Linkage अनिवार्य नहीं होगा, ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के संचालक अपने संसाधनों से भी पोल्ट्री फार्म का संचालन करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

(ii) जिला स्तर पर योजना का अनुश्रवण संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर से किया जायेगा। जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह ब्रायलर पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण/ब्रायलर पोल्ट्री की जाँच की जायेगी। जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा इस कार्य में आवश्यकतानुसार जिले में पदस्थापित अन्य पशु चिकित्सकों का सहयोग लिया जा सकेगा।

(iii) ब्रायलर पोल्ट्री फार्म की स्थापना में Bio-Security measures का अनुपालन करना लाभुक का दायित्व होगा। जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा Bio-Security measures के अनुपालन की समीक्षा नियमित रूप से की जायेगी।

(iv) योजना अन्तर्गत चयनित लाभुकों द्वारा प्रत्येक माह की पहली तारीख को संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को **ब्रायलर पोल्ट्री फार्म का मासिक प्रगति प्रतिवेदन** समर्पित करना अनिवार्य होगा। संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा जिले में स्थापित सभी ब्रायलर पोल्ट्री फार्म से प्राप्त मासिक

प्रगति प्रतिवेदन का संकलन कर प्रत्येक माह के 5वीं तारीख तक पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(v) योजना की प्रगति की मासिक समीक्षा विभागीय स्तर पर की जायेगी।

(vi) अनुलग्नक–1 एवं अनुलग्नक–2 संगत विभागीय स्वीकृति आदेश से लिया गया है।

(vii) किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवादों का निपटारा करने के लिये प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

(विनोद सिंह गुंजियाल)
निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक– 10 नि0 (योजना) 10/2018.. दिनांक– ..../................./2018

प्रतिलिपि :–सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–परियोजना निदेशक, बी0एल0डी0ए0, पटना/महाप्रबंधक, केन्द्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–विभागीय आई0 टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई (सभी संबंधितों को ई–मेल करने) हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

अनुलग्नक–1

F.Y. 2018-19

Project Report for Setting up of 3000 Capacity Commercial Broiler Poultry Farm

A. Capital Investment on Infrastructure -		
• Cost of construction of 3600 sq. ft. shed	@ Rs. 200 / sq.ft.	7,20,000
• Cost of construction of Store Room of 180 sq.ft.	@ Rs. 200 / sq.ft.	36,000
• Cost of Equipments (Hanging feeder, Automatic drinker etc.) for 3000 birds	@ Rs. 12 / bird	36,000
• Water Supply (Water Pump, Boring, Pipeline, Genset etc.)		80,000
• Electric (wiring etc.)		15,000
• Miscelleneous		13,000
TOTAL		**9,00,000**
Subsidy & Beneficiary contribution		
Subsidy for General	(@ 30 %)	2,70,000
Beneficiary contribution (for Self finance)		6,30,000
Margin Money (for Bank finance)		90,000
Bank finance		5,40,000
Subsidy for SC and ST	(@ 50 %)	4,50,000
Beneficiary contribution (for Self finance)		4,50,000
Margin Money (for Bank finance)		90,000
Bank finance		3,60,000
B. Capital Expenses (Stock) :-		
• 3000 day old chicks will be supplied by Poultry Integrator alongwith Feed, Medicine, Vaccines, Veterinary Assistance etc.		-
• Electricity, Water supply, Litter material (per flock)		6,000
C. Income :-		
- Incentive provided by Poultry Integrator	@ 8/Kg. for 6000 kg. (@ 2 kg. per livebird avg.)	48,000
- Sale of Gunny bags (180 bags)	@ Rs. 10/ bag	1,800
- Sale of Manure (40 quintal).	@ Rs. 50 /quintal	2,000
TOTAL		**51,800**
D. Gross Profit :-		
- Income (C) - Expenditure (B)		45,800

26//
10/8/18

Birds reared - 7 lot in a year (7 X 45,800)		**3,20,600**
E. Net Profit :- FOR GENERAL (Subsidy @ 30%)		
• Gross Profit		3,20,600
• LESS (-)		
(i) Depreciation on Equipments etc.	Avg. per year	12,000
(ii) Repayment of loan (@12%) i.e. Rs. 5.40 lakh (in four years i.e. 48 months)	@ 14250/- per month EMI	1,71,000
NET PROFIT		
1st year		1,37,600
2nd year		1,37,600
3rd year		1,37,600
4th year		1,37,600
5th year		3,08,600

E. Net Profit :- FOR SC/ST (Subsidy @ 50%)		
• Gross Profit		3,20,600
• LESS (-)		
(i) Depreciation on Equipments etc.	Avg. per year	12,000
(ii) Repayment of loan (@12%) i.e. Rs. 3.60 lakh (in four years i.e. 48 months)	@ 9500/- per month EMI	1,14,000
NET PROFIT		
1st year		1,94,600
2nd year		1,94,600
3rd year		1,94,600
4th year		1,94,600
5th year		3,08,600

अनुलग्नक–2

अनुलग्नक–2

वित्तीय वर्ष 2018–19 में ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3000 क्षमता) के आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु अनुदान की योजना हेतु लक्ष्य

(रुपये लाख में)

क्र0	विवरणी	General	SCSP	TSP	Total
1	प्रति यूनिट अनुदान (लाख रूपये में)	2.70	4.50	4.50	-
2	ब्रायलर पोल्ट्री फार्म यूनिट की अनुमानित संख्या	168	124	20	312
3	**अनुदान हेतु कुल स्वीकृत राशि :–**	**453.60**	**558.00**	**90.00**	**1101.60**
		(रुपये चार करोड़ तीरपन लाख साठ हजार मात्र)	(रुपये पाँच करोड़ अन्ठावन लाख मात्र)	(रुपये नब्बे लाख मात्र)	(रुपये ग्यारह करोड़ एक लाख साठ हजार मात्र)

2611
10/8/18

9/8/18
सरकार के संयुक्त सचिव

मॉडल आवेदन पत्र

पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना

वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम अन्तर्गत *"समेकित मुर्गी विकास योजना"* के तहत ''ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3000 क्षमता) के आधारभूत संरचना निर्माण पर अनुदान की योजना" का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन अपलोड करने से पहले पूर्वाभ्यास हेतु

"मॉडल आवेदन पत्र"

(आवेदन पत्र भरने से पहले सभी वांछित अनुलग्नकों को Scan कराकर Pdf format में Soft copy तैयार कर लिया जायेगा जिसे ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा)

आवेदक का पासपोर्ट साईज का स्व–अभिप्रमाणित फोटोग्राफ।

1. आवेदक का नाम :– ....

2. पिता का नाम :– ....

3. जन्म तिथि :– ....

4. उम्र :–...(पूर्ण वर्षों में, न्यूनतम 18 वर्ष)

5. शैक्षणिक योग्यता :– ....

6. पेशा :– ....

7. कोटि (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) :– ....

(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)

8. स्थायी पता :–

ग्राम – .... पो0– ....

थाना – .... प्रखंड –...

पिन कोड – .... जिला –...

8. दूरभाष/मोबाईल नं0–: ....

9. मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों से कुक्कुटपालन में प्राप्त प्रशिक्षण की विवरणी :– ....

....

<u>10. भूमि का ब्यौरा (जिसका उपयोग ब्रायलर फार्मिंग के लिए किया जाना है)</u>

3,000 क्षमता के ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (Deep litter system पर आधारित) हेतु कम से कम 7000 वर्गफीट भूमि की आवश्यकता होगी। भूमि का साक्ष्य उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(क) खाता :– .... (ख) खेसरा :– ....

(ग) रकबा (एकड़ में) :– .... (घ) जिला मुख्यालय से दूरी :– ....

(ङ०) मौजा :– .... (च) ग्राम :– ....

(छ) परगना :– .... (ज) थाना :– ....

(झ) थाना नं0 :– .... (ञ) प्रखंड/अंचल :– ....

(ट) जिला :– ....

भूमि के नजरी नक्शा की छाया प्रति संलग्न करें।

(ठ) भूमि आवेदक के नाम से है या लीज (पट्टा) पर ली गई है :– ....

*(आवेदक के नाम से भूमि होने की स्थिति में भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र/अद्यतन लगान रसीद **अथवा** लीज पर भूमि लेने की स्थिति में भू–स्वामी का भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र/अद्यतन लगान रसीद तथा एकरारनामा की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा)*

<u>11. ब्रायलर पोल्ट्री फार्म हेतु प्रस्तावित प्रोजेक्ट का विवरण</u>

(क) प्रस्तावित प्रोजेक्ट की राशि :– ....

(प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करें अन्यथा विभाग द्वारा तैयार किया गया Model Project Report ही मान्य होगा)

(ख) अनुदान की राशि :– ....

(ग) राशि की व्यवस्था (स्वलागत अथवा बैंक ऋण से) ....

(घ) यदि स्वलागत से हो तो राशि की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य :– ....

(राशि की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य के रूप में अद्यतन बैंक पास बुक/ बैंक के शाखा प्रबंधक के द्वारा सत्यापित खाता विवरणी (Account Statement)/ बैंक सावधि जमा अथवा बीमा का प्रत्यार्पण मूल्य (Surrender Value) इत्यादि से संबंधित कागजता की प्रति जमा किया जा सकता है।)

(ङ०) यदि बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहते हैं तो लाभुक के स्तर से व्यय की जाने वाली राशि (मार्जिन मनी) की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य :– ....

(च) विशेष यदि कोई हो :– ....

12. अनुदान प्राप्ति हेतु बैंक खाता एवं अन्य का विवरण :–

(क) बैंक का नाम :– ....

(ख) शाखा :– ....

(ग) खाता संख्या :– ....

(घ) आई0एफ0एस0सी0 कोड :– ....

(ड0) पैन कार्ड संख्या :– ....

(च) आधार संख्या :–...

13. अनुलग्नक :–

(क) आवेदक का फोटोग्राफ।

(ख) पहचान पत्र की छाया प्रति।

(ग) आवास का प्रमाण पत्र।

(घ) जाति प्रमाण पत्र *(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)*

(ड0) आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो) की छाया प्रति।

(च) बैंक खाता पास बुक की छाया प्रति।

(छ) पैन कार्ड की छाया प्रति।

(ज) ब्रायलर पोल्ट्री फार्म स्थापित करने हेतु कुल भूमि की उपलब्धता का साक्ष्य :–

(i) भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र/अद्यतन लगान रसीद की छाया प्रति– *यदि भूमि स्वयं की हो तो*।

(ii) लीज एकरारनामा की छाया प्रति (भू–स्वामी का भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र/अद्यतन लगान रसीद की छाया प्रति सहित*)– यदि भूमि लीज पर ली जा रही हो तो।*

(iii) भूमि के नजरी नक्शा की छाया प्रति संलग्न करें।

(झ) प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करें अन्यथा विभाग द्वारा तैयार किया गया Model Project Report ही मान्य होगा)

(ञ) स्वलागत से ब्रायलर फार्म स्थापना के लिये राशि की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य/बैंक ऋण से ब्रायलर फार्म की स्थापना के लिए मार्जिन मनी की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य।

(ट) पोल्ट्री फार्मिंग का प्रशिक्षण संबंधी साक्ष्य।

(ठ) ....

(ड) ....

<u>प्रपत्र–1</u>

<u>कार्यालय :– जिला पशुपालन पदाधिकारी, ...</u>

वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम अन्तर्गत "समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत ''ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3000 क्षमता) के आधारभूत संरचना निर्माण पर अनुदान की योजना" का लाभ प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँचोपरान्त संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन को समर्पित किये जाना वाला **<u>जाँच पत्र</u>**

आई.डी. संख्या–

आवेदक श्री/श्रीमती/सुश्री/............................ ....

पिता/पति का नाम :– ....

ग्राम : .... पोस्ट : ....थाना : .... प्रखंड : .... जिला : .... पिन कोड : ....द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम अन्तर्गत "समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत ''ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3000 क्षमता) के आधारभूत संरचना निर्माण पर अनुदान की योजना" हेतु समर्पित किये गये आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचनाओं/तथ्यों की जाँच की गई एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तावित ब्रायलर पोल्ट्री फार्म यूनिट (3000 क्षमता) की स्थल पर जाकर स्थलीय जाँच की गई।

1– आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचना/तथ्य जाँचोपरान्त <u>सही पाया गया</u>/<u>सही नहीं पाया गया।</u> *(जो लागू न हो उसे काट दें)*

2– आवेदक द्वारा प्रस्तावित ब्रायलर पोल्ट्री फार्म यूनिट स्थल पर 3000 क्षमता के ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (Deep litter system पर आधारित) का निर्माण <u>किया जा सकता है</u>/<u>नहीं किया जा सकता है।</u> *(जो लागू न हो उसे काट दें)*

3– कोई अन्य सूचना (यदि हो तो) – ....

....

....

4–आवेदक को "ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3000 क्षमता) के आधारभूत संरचना निर्माण पर अनुदान की योजना" हेतु <u>चयनित करने की अनुशंसा की जाती है</u>/<u>निम्नांकित कारणों से अनुशंसा नहीं की जाती है</u> *(जो लागू न हो उसे काट दें)*

(i) ....(ii) ....(iii) ....

सहायक कुक्कुट पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर। **(सदस्य)**	जिला में पदस्थापित अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/पशु शल्य चिकित्सक (जो भी वरीय हों) **(सदस्य)**	जिला पशुपालन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर। **(अध्यक्ष)**

प्रपत्र–2

वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम अन्तर्गत "समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत ''ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3000 क्षमता) के आधारभूत संरचना निर्माण पर अनुदान की योजना" का लाभ प्राप्त करने हेतु

अनुदान (प्रथम किस्त/द्वितीय किस्त) की राशि प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र

प्रेषक,

....

आई.डी. संख्या–

पिता/पति का नाम :– ....ग्राम : ....

पोस्ट : ....थाना : .... प्रखंडः ....

जिला : ....पिन कोड : .... मोबाईल नं0–...

सेवा में,

जिला पशुपालन पदाधिकारी,

...

विषय :– वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम अन्तर्गत "समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत ''ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3000 क्षमता) के आधारभूत संरचना निर्माण पर अनुदान की योजना" के अन्तर्गत अनुदान (प्रथम किस्त/द्वितीय किस्त) की राशि प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र।

महाशय,

1– मेरे द्वारा 3000 क्षमता के ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (Deep litter system पर आधारित) के आधारभूत संरचना का निर्माण कार्य (Civil work) के क्रम में फाउन्डेशन, पिलर एवं साईड वॉल का निर्माण पूरा कर लिया गया है। प्रमाण स्वरूप ब्रायलर मुर्गी फार्म (3000 क्षमता) के उपरोक्त वर्णित आधारभूत संरचना निर्माण का साक्ष्य (फोटोग्राफ इत्यादि) प्रथम किस्त अनुदान राशि (60 प्रतिशत्) .... प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

मेरे द्वारा आवेदन पत्र के साथ समर्पित परियोजना प्रस्ताव/ मॉडल प्रोजेक्ट के अनुरूप 3000 क्षमता के ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के आधारभूत संरचना निर्माण के साथ सभी आवश्यक उपकरणों, बोरिंग, जेनरेटर सेट इत्यादि के संस्थापन कर लिया गया है। प्रमाण स्वरूप ब्रायलर मुर्गी फार्म के आधारभूत संरचना निर्माण का साक्ष्य (फोटोग्राफ इत्यादि), सभी क्रय किये गये आवश्यक उपकरणों, बोरिंग, जेनरेटर सेट इत्यादि के अभिश्रव तथा फार्म के साथ लाभुक का फोटोग्राफ द्वितीय किस्त अनुदान राशि (40 प्रतिशत्) ....प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

(जो लागू न हो उसे काट दें)

2— मुझे अनुदान दावा का प्रथम किस्त 60 प्रतिशत् रूपये ..../द्वितीय किस्त 40 प्रतिशत् रूपये..का भुगतान करने की कृपा की जाये *(राशि अंक एवं शब्दों में)*।

तिथि .... **आवेदक का हस्ताक्षर**

(अनुदान दावा आवेदन पत्र में लाभुक अपना नाम एवं हस्ताक्षर तथा तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे)

<u>प्रपत्र–3</u>

कार्यालय :– जिला पशुपालन पदाधिकारी, ...

वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम अन्तर्गत "समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत ''ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3000 क्षमता) के आधारभूत संरचना निर्माण पर अनुदान की योजना" का लाभ प्राप्त करने हेतु

अनुदान प्राप्ति के लिए लाभुक द्वारा समर्पित आवेदन पत्र का जाँच–पत्र

पशुपालन निदेशालय, बिहार के स्वीकृति पत्र संख्या ....दिनांक ....के आलोक में आवेदक श्री/श्रीमति/सुश्री ....

आई.डी. संख्या–

पिता/पति का नाम :– ....ग्राम : .... पोस्ट : ....थाना : .... प्रखंडः ....जिला : ....पिन कोड : .... द्वारा (प्रथम किस्त/द्वितीय किस्त) अनुदान के लिए समर्पित आवेदन/दावा के आलोक में लाभुक के द्वारा स्थापित ब्रायलर पोल्ट्री फार्म यूनिट स्थल पर जाकर जाँच की गई। जाँचोपरान्त पाया गया कि :–

1– लाभुक द्वारा 3000 क्षमता के ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (Deep litter system पर आधारित) के आधारभूत संरचना का निर्माण कार्य (Civil work) के क्रम में फाउन्डेशन, पिलर एवं साईड वॉल का निर्माण पूरा कर लिया गया है। (फोटोग्राफ संलग्न)

लाभुक द्वारा आवेदन पत्र के साथ समर्पित परियोजना प्रस्ताव/ मॉडल प्रोजेक्ट के अनुरूप 3000 क्षमता के ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के आधारभूत संरचना निर्माण के साथ सभी आवश्यक उपकरणों, बोरिंग, जेनरेटर सेट इत्यादि का संस्थापन पूरा कर लिया गया है। (फोटोग्राफ संलग्न)

(जो लागू न हो उसे काट दें)

2– लाभुक श्री .... को अनुदान के प्रथम किस्त/द्वितीय किस्त की राशि रूपये .... का भुगतान करने की अनुशंसा की जाती है। *(राशि अंक एवं शब्दों में)*

सहायक कुक्कुट पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर। **(सदस्य)**	जिला में पदस्थापित अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/पशु शल्य चिकित्सक (जो भी वरीय हों) **(सदस्य)**	जिला पशुपालन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर। **(अध्यक्ष)**

<u>मॉडल एकरारनामा</u>

वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वीकृत "समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत ''ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3000 क्षमता) के आधारभूत संरचना निर्माण पर अनुदान की योजना" का लाभ प्राप्त करने हेतु

<u>एकरारनामा</u>

(1000/– रूपये (एक हजार रूपये) के ननजूडिसीयल स्टाम्प पेपर पर)

1. यह एकरारनामा पशु एवं मत्स्य संसाधन (पशुपालन) विभाग, विकास भवन, बिहार, पटना की ओर से जिला पशुपालन पदाधिकारी, ...एवं श्री .... (ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के संस्थापक का नाम एवं पूरा पता) आई0डी0 संख्या–.. के बीच आज दिनांक–..................को .... बजे पूर्वा0/अप0 में संपादित (Execute) किया गया।
2. वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभागीय स्वीकृति आदेश पत्र संख्या–6 एस0 एस0 (6) 13/2015 – 2611 दिनांक–10.08.2018 के क्रम में "समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत ''ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3000 क्षमता) के आधारभूत संरचना निर्माण पर अनुदान की योजना" के सफल कार्यान्वयन हेतु निर्गत "कार्यान्वयन अनुदेश" पत्र संख्या–..................................दिनांक–.................................. के आलोक में पशुपालन निदेशालय, बिहार के पत्रांक– .... दिनांक–... के द्वारा निर्गत स्वीकृति पत्र के सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के क्रमांक–................. पर अंकित श्री ....
....
.... *(ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के संस्थापक का नाम एवं पूरा पता)* को ....
....
.... *(जिस स्थान पर ब्रायलर पोल्ट्री फार्म स्थापित किया जाना है, उसका पूरा पता)* में ब्रायलर पोल्ट्री फार्म की स्थापना करने हेतु चयनित किया गया है।
3. यह कि विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों (नियम एवं शर्त्तों) के अनरूप ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के संस्थापक द्वारा ब्रायलर पोल्ट्री फार्म की स्थापना एवं संचालन किया जायेगा।
4. संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं लाभुक के बीच एकरारनामा संपादित किये जाने के **30 दिन** बाद संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा चयनित लाभुक के ब्रायलर पोल्ट्री फार्म का स्थल निरीक्षण कर पशुपालन निदेशालय को ब्रायलरफार्म की स्थापना की अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
5. नया ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के स्थापना पर ही इस योजना के तहत अनुदान राशि का लाभ दिया जायेगा। पुराना स्थापित ब्रायलर पोल्ट्री फार्म पर इस योजना का लाभ देय नहीं होगा।
6. लाभुक के द्वारा अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन विहित प्रपत्र **(प्रपत्र–2)** में संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा, जिसकी प्राप्ति रसीद आवेदक को दिया जायेगा।

7. जिला पशुपालन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति द्वारा आवेदन प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर स्थल निरीक्षण किया जाएगा। स्थल निरीक्षण के समय लाभुक का स्थल (ब्रायलरमुर्गी फार्म) पर उपस्थिति रहना आवश्यक होगा। स्थल निरीक्षण के क्रम में त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति द्वारा पूरे ब्रायलरफार्म का विधिवत् रूप से फोटोग्राफी कराया जाएगा।

8. त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति द्वारा ब्रायलरमुर्गी फार्म का स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँचोंपरान्त संतुष्ट होने के पश्चात् स्थल निरीक्षण–सह–जाँच प्रतिवेदन प्रपत्र–3 में तैयार किया जाएगा। संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण–सह–जाँच प्रतिवेदन प्रपत्र–3 में (ब्रायलर पोल्ट्री फार्म शेड के फोटोग्राफ सहित) संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्ति के 10 दिनों के अन्दर पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. स्थल निरीक्षण–सह–जाँच प्रतिवेदन **(प्रपत्र–3)** पशुपालन निदेशालय में प्राप्त होने के उपरान्त लाभुक को अनुदान राशि का भुगतान (प्रथम किस्त/द्वितीय किस्त) लाभुक के नाम से NEFT/RTGS द्वारा किया जायेगा।

10. लाभुक के द्वारा 3000 क्षमता वाले ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के आधारभूत संरचना निर्माण के क्रम में फाउन्डेशन, पिलर एवं साईड वॉल के निर्माण उपरान्त अनुदान के प्रथम किस्त का भुगतान किया जायेगा। भुगतान के लिए लाभुक के द्वारा ब्रायलर मुर्गी फार्म के वर्णित आधारभूत संरचना निर्माण का साक्ष्य (फोटोग्राफ इत्यादि) प्रस्तुत करना होगा। अनुदान के द्वितीय किस्त का भुगतान शेष आधारभूत संरचना निर्माण के साथ सभी आवश्यक उपकरणों, बोरिंग, जेनरेटर सेट इत्यादि के संस्थापन के उपरान्त किया जायेगा। द्वितीय किस्त के भुगतान के लिए लाभुक के द्वारा ब्रायलर मुर्गी फार्म के आधारभूत संरचना निर्माण का साक्ष्य (फोटोग्राफ इत्यादि), सभी क्रय किये गये आवश्यक उपकरणों, बोरिंग, जेनरेटर सेट इत्यादि के अभिश्रव तथा फार्म के साथ लाभुक का फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा।

11. एकरारनामा संपादित करने की तिथि से **30 दिनों के अंदर** कार्य प्रारंभ नहीं करने की स्थिति में स्वीकृति पत्र को निरस्त करने का अधिकार निदेशक, पशुपालन को होगा एवं इसके लिए लाभुक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

12. विभागीय निदेशों एवं स्वीकृति पत्र के अनुरूप ब्रायलर पोल्ट्री फार्म का संस्थापन नहीं करने की स्थिति में अनुदान की राशि लाभुक को नहीं दी जायेगी। यदि अनुदान की राशि लाभुक को भुगतान कर दिया गया हो तो लाभुक द्वारा उक्त राशि विभाग को वापस लौटा दी जाएगी अन्यथा वसूली हेतु विभाग किसी भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

13. भविष्य में यदि पाया गया कि लाभुक एवं उनके परिवार के सदस्यों (माता/पिता/पत्नी/ पति/पुत्र/ अविवाहित पुत्री/पुत्रवधु) के द्वारा पूर्व में विभाग द्वारा संचालित योजना के तहत ब्रायलर पोल्ट्री फार्म की स्थापना हेतु अनुदान प्राप्त किया गया है तो इस योजना के अन्तर्गत लाभुक को कोई अनुदान देय नहीं होगा तथा यदि वर्त्तमान योजना में कोई अनुदान दे दिया गया है, तो इसकी वसूली किये जाने के साथ–साथ लाभुक के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

14. किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवादों का निपटारा करने के लिये प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

15. किसी भी प्रकार का वैधानिक मामला जिला–पटना, बिहार के क्षेत्रान्तर्गत होगा।

विभाग के प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम।	**लाभुक/ब्रायलरपोल्ट्री फार्म के संस्थापक का हस्ताक्षर, नाम एवं पूरा पता।**
(डॉ0 ....) जिला पशुपालन पदाधिकारी, ...	(श्री ....)
<u>दो गवाहों के हस्ताक्षर</u> <u>(पूरा नाम एवं पदनाम सहित)</u>	<u>दो गवाहों के हस्ताक्षर</u> <u>(पूरा नाम एवं पता सहित)</u>
1.. 2...	1... .. 2...